

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0 गुदागौड़जी  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार श्रीमान जी पृथ्वार हल्का गुदागौड़जी के राजस्व

ग्राम ग्राम गुदागौड़जी के खाता सं. 1078 में प्रार्थी का नाम संवलन से ~~सही~~  
सहीराम पुत्र रामकुमार जलत रूप ही गया। संलग्न रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी  
का नाम सहीराम पुत्र रामकरण किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक : 21/10/2021  
24-10-21  
पटवारी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम गुरुरत किया जाने की अभिराप्ता की जाती है / नहीं की जाती है।

21/10/21  
तहसीलदार गुदा गौड़जी  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 25/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल द्वाारा के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुदागौड़जी	2075-78	1078	सहीराम पुत्र रामकुमार	सहीराम पुत्र रामकरण

नोट :- शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 313 - 314  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

24/10/21  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
उपखण्ड अधिकारी (झुंझुनू)  
दिनांक :- 25/10/2021

24/10/21  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
उपखण्ड अधिकारी (झुंझुनू)